राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक 11(1)राज–6/2004 /12   जयपुर, दिनांक 19/03/6

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बाबत।

महोदय,

अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(49)राज–4/76 दिनांक 1.9.76 जो राजस्थान राजपत्र पार्ट IV (Ga)(II) दिनांक 9.9.76 को पृ0 161 पर प्रकाशित है, निम्न प्रकार है।

In pursuance of section 92 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act No 15 of 1956) the State Government hereby orders that the Collector shall not set apart land for any public or municipal purpose (other than for free pasturage of cattle, for forest reserve, or development of abadi) without obtaining previous sanction of the Government.

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य में औद्योगिक प्रयोजनार्थ (लघु/वृहत उद्योग) भूमि आवंटन हेतु भूमि चाही जाने पर कतिपय जिला कलक्टरों द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के तहत उक्त प्रयोजन हेतु भूमि आरक्षित किए जाने से पूर्व राज्य सरकार को प्रस्ताव नही भिजवाये जाते है जो अधिसूचना दिनांक 1.09.1976 के प्रावधानो के विपरित है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थानण्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ (लघु/वृहत उद्योग) आंवटन हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जावें तथा राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त ही भूमि आरक्षित की कार्यवाही सम्पादित की जावे।

भवदीय,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. वैयक्तिगत सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, राजस्व (स्वतत्र प्रभार)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय राजस्थार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव